रायगढ़ पुलिस को साइबर ठगी में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता... पॉश इलाके में कॉल सेंटर से लोगों को फेक कॉल कर ठग रहे 8 युवक और 14 युवती पकड़ाए

- गिरफ्तार आरोपियों से 45 नग मोबाइल व डायरी जब्त, आरोपियों के 9 बैंक अकाउंट कराया गया होल्ड
- ठगों का अंतर्राज्यीय गिरोह देश के विभिन्न राज्यों में किए हैं 1 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन ठगी
- एसपी अभिषेक मीणा द्वारा गठित पुलिस टीम की पश्चिम बंगाल में की सिलसिलेवार रेड कार्यवाही

रायगढ़। जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध ऑनलाइन ठगी के मामलों में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के कुशल मार्गदर्शन, एडिशनल एसपी संजय महादेवा के पर्यवेक्षण पर सायबर सेल व थाना के स्टाफ की गठित अलग-अलग पुलिस टीमें पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में दबिश दिया जा रहा है जिसमें पुलिस को थाना कोतवाली, थाना लैलूंगा एवं थाना पुसौर के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिले की एक टीम अभी भी दिगर प्रांत में आरोपियों की पतासाजी पर है।

सीएसपी रायगढ़ अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में गठित 15 सदस्यीय टीम द्वारा करीब एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश के क्रम में अंतर्राज्यीय साइबर ठगों गिरोह के मूल ठिकाने पर सुनियोजित तरीके से छापेमार कार्यवाही किया गया है, जिसमें पुलिस टीम के हाथ ऑनलाइन ठगी के गोरख धंधे में शामिल आरोपित 8 युवक और 14 युवती हाथ आये हैं। रायगढ़ की पुसौर पुलिस द्वारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोलकाता के न्यायालय से थाना पुसौर के ऑनलाइन ठगी मामले में वांछित इन 22 आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी पेश किया गया जिसमें 8 आरोपी युवकों का माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रांजिट रिमांड दिया गया तथा 14 आरोपित युवतियों को सशर्त अंतरिम बेल का लाभ देकर ट्रांजिट रिमांड खत्म होने की अवधि के पूर्व रायगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने आदेश दिया गया है। सभी 22 आरोपियों को पुसौर के धोखाधड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर पेश किया जावेगा।

थाना पुसौर का पंजीबद्ध अपराध का संक्षिप्त विवरण-

जानकारी के मुताबिक थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 357/2022 धारा 420 आईपीसी के प्रार्थी आदित्य मिश्रा निवासी ग्राम महलोई थाना पुसौर द्वारा थाना पुसौर में 8 सितंबर 2022 को एक लिखित आवेदन देकर धोखाधड़ी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिसके अनुसार उसे अगस्त माह में 3 अलग-अलग मोबाईल नंबरों से अज्ञात व्यक्ति (साइबर ठग) कॉल कर गांव में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने के संबंध में चर्चा कर घर व प्लाट चाहिये बोला था और घर व प्लाट के एवज में प्रति माह 15,000 रूपये किराया व बोनस तौर पर 15 लाख रूपये एक साथ देने का लालच दिये थे। ऐसा कहकर ठगों ने डाक्यूमेंट्स तैयार करने, इंश्युरेंस, NOC व मटेरियल के लिए रूपये जमा करना होगा कहकर कुल 1,82,460 रूपये जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया था।

पुलिस की रेड कार्रवाई-

एसपी अभिषेक मीणा द्वारा एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय को मामले की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए और साइबर सेल प्रभारी एसआई कमल किशोर पटेल को पीड़ित को जिन नंबरों से कॉल कर रुपयों की ठगी की गई थी उन नंबरों को सर्विलांस में रखकर इनपुट निकालने का काम काम सौंपा गया।

सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय केवल 6 संदिग्ध नंबर के धारकों की पतासाजी के लिए पुलिस टीम लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हुए। टीम को पुलिस अधीक्षक मीणा मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने साइबर सेल को आवश्यक जानकारियां टीम को शेयर करने कहा गया था। रायगढ़ पुलिस स्थानीय कोलकाता जोरासांकी पुलिस की मदद से जोरासांकी मेट्रो के गेट परबड़ी सूझबूझ से रेड कर आरोपी शमसूद हुसैन (19 साल) निवासी बेलगछिया रोड़ कोतकाता को हिरासत में लिया गया। आरोपी शमसूल पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि उसका ऑफिस उसी लोकेशन में संचालित है जहां तक पुलिस पहुंच रही थी और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलने से आरोपियों की तलाश बेसुध था।

आरोपियों का तरीका वारदात-

आरोपी शमसूल हुसैन बताया कि उस बिल्डिंग के दो कमरों को उनका परिचित (कॉल सेंटर के दोनों संचालक) किराए में लेकर अवैध तरीके से कॉल सेंटर चला रहे हैं। इस कॉल सेंटर में छल और ठगी का गिरोह चलाया जा रहा है। ये लोग पूरे भारत में लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर कॉल कर ठगते हैं। सभी का अलग-अलग कार्य हैं, ऑफिस में मैनेजर- गोपाल कंडारऔर दीपिका मंडल तथा टीम लीडर- बीना साव उर्फ़ डाली, मधु यादव, जूली सिंह, स्नेहा पाल, पूजा राय है तथा उनके साथ – राम कुमार साव, पूजा सिंह, विशाल सेठ, पिंकी राजभर, पूजा पासवान, पूजा शर्मा, रिंकी साव, इंद्रोजीत दास, पूजा दास, अंकु गुप्ता, अनिल शाह, कामिनी पोद्दार, प्रियंका चौधरी, रोहित साव सभी लोगों को ठगी करने में माहिर हैं। ऑफिस के स्टाफ दो अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं - जिसमें एक "राधे-राधे" और दूसरा "नेवर गिव अप ग्रुप" है इनके सीनियर के कहने पर सभी आरोपीगण प्रतिदिन 250 से 300 लोगों को कॉल करते हैं और अपना-अपना डायरी मेंटेन करते हैं कि कस्टमर से कितने रुपए प्राप्त हुए किन से क्या डॉक्यूमेंट लेना है। इन सब का जिक्र उस डायरी में होता था। सभी अलग-अलग नामों से लोगों को कॉल करते थे। आरोपी शमसूल बताया कि उसके सीनियर गूगल से सीरीज नंबर लेकर इन्हें मुहैया कराते थे और उन नंबरों पर कॉल कर लोगों को अपने झांसे में लेना होता है। ये लोग सबसे पहले कॉलर से टावर लगाने के नाम पर लुभावनी स्कीम बताते थे जिसमें उनसे पूछा जाता था कि क्या उनके पास 10X10 का जमीन है किसके अधिकार की जमीन है। उसके बाद जमीन पर टावर लगाने की फ्रॉड स्कीम बताकर प्रलोभन देते थे कि इन्हें 10 साल के लिए 15,00,000 रुपए देंगे, रु.12,000 प्रतिमाह किराया देंगे तथा घर के एक पढ़े-लिखे सदस्य को 10 से 15,000 की नौकरी भी दी जाएगी। जब कॉलर राजी हो जाता था तब उन्हें कमर्सियल लायसेंस, इंश्युरेंस, NOC आदि के नाम पर डक्यूमेंट व रूपये मांगे जाते थे। इनके पास केवल एक स्मार्टफोन मोबाइल नंबर 8902251001 है जो उनके कॉल सेंटर में रखा है। इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट मंगाने का होता था। कस्टमर इनके लुभावने स्कीम में आ जाने पर उन्हें अपने सीनियर कॉल सेंटर के दोनों संचालक, मधु, गोपाल, स्नेहा, बिना उर्फ डाली, दीपिका मंडल, पूजा राय आदि हैंडल करते थे। इनका कहना है कि हर 5 में से एक व्यक्ति इनके झांसे में आता है। सीएसपी पूरी जानकारी लेने के बाद एसपी मीणा को अवगत कराये। एसपी मीणा रेड का समय निर्धारित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया व टीम को गोपनियता बरतने की समझाईश दिये। पुलिस टीम स्थानीय जोरासांकी पुलिस को लेकर 3 अलग-अलग टीमें बनाकर शमसुल हुसैन को लेकर सुभाष नगर रोड दक्षिण दमदम के एक पुराने बिल्डिंग के दो कमरों में संचालित हो रहे अवैध कॉल सेंटर के बाहर पहुंची। टीम बाहर जाने के रास्तों को ब्लॉक कर एकाएक सीएसपी अपनी टीम लेकर कमरे तक पहुंचे। सबसे पहले एक कमरे को बाहर से बंद कर दौड़कर दूसरे कमरे तक पहुंचे। इतने में बंद कमरे में अंदर रहे युवक युवती मामले को भापकर स्वयं दरवाजे को अंदर से बंद कर अपने मोबाइल व कुछ सामग्रियों को खिड़की से नीचे फेंक रहे थे। तत्काल एक आरक्षक बिल्डिंग के नीचे जाकर सामानों को नाली में जाने से बचाया। तब सीएसपी दोनों कमरों में स्टाफ के साथ जाकर अपने नियंत्रण में लिये स्थानीय पुलिस की मदद से कॉल सेंटर में काम कर रहे 14 लड़की व 8 लड़कों को उनके हितबध्द्ध साथियों के काफी विरोध के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ कर आरोपियों से घटना में प्रयुक्त आफिस तथा उनके स्वयं के नीजी प्रयोग के 44 मोबाइल तथा सभी आरोपियों के डायरियां जप्त किया गया है।

जांच में पता चला कि कॉल सेंटर के संचालक के बैंक अकाउंट में कोई रकम नहीं रखता था वह अपने परिचितों को धोखे में रखकर उनके आईडी पर बैंक अकाउंट खोल कर उनका एटीएम, चेक बुक वगैरह उपयोग कर रहा था और कस्टमर से फोन पे, गूगल पे तथा बैंक अकाउंट के माध्यम से रुपए प्राप्त करता था।

आरोपियों के जप्त मोबाइल में लगे सिम का कॉल रिकॉर्ड निकालकर साइबर सेल की टीम द्वारा उन नंबरों से किए गए कॉल की जानकारी लेने पर छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग, कोरबा, खैरागढ़, धमतरी, कबीरधाम तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आरोपियों द्वारा ठगी की जानकारी मिली है जिसमें ठगी की रकम एक करोड़ से अधिक रुपए का होना पता चला है। रायगढ़ पुलिस आरोपी के मुंबई, कोलकाता, त्रिपुरा आदि स्थानों में खोले गए 9 बैंक अकाउंट फ्रीज कराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर उन्हें पत्राचार कर मामले की जानकारी दी गई है। फरार कॉल सेंटर के संचालक की खोज में पुलिस की एक टीम लगी हुई है।

एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर गठित टीम के टीम लीडर सीएसपी अभिनव उपाध्याय, थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक सीताराम ध्रुव, सायबर सेल/चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, थाना पुसौर के सहायक उपनिरीक्षक, कमल सिंह, हेमसागर पटेल, उमाशंकर विश्वाल, थाना चक्रधरनगर के सउनि इंगेश्वर यादव कोतरारोड़ की सहायक उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, थाना चक्रधरनगर के प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन, थाना पुसौर की प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना, आरक्षक सुरेश सिदार, दिनेश सिंह, प्रताप बेहरा, रंजीत भगत, ओश्निक विश्वाल, थाना कोतवाली से उत्तम सारथी, सायबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, रेणु सिंह मंडावी, आरक्षक धनंजय कश्यप महेश पंडा, प्रशांत पंडा, नवीन शुक्ला, महिला आरक्षक मेनका चौहान की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

कॉल सेंटर का मैनेजर- गोपाल कंडारऔर दीपिका मंडल तथा टीम लीडर- बीना साव उर्फ़ डाली, मधु यादव, जूली सिंह, स्नेहा पाल, पूजा राय है तथा उनके साथ – राम कुमार साव, पूजा सिंह, विशाल सेठ, पिंकी राजभर, पूजा पासवान, पूजा शर्मा, रिंकी साव, इंद्रोजीत दास, पूजा दास, अंकु गुप्ता, अनिल शाह, कामिनी पोद्दार, प्रियंका चौधरी, रोहित साव और शमसुद हुसैन।

महत्वपूर्ण एवं खास

धान खरीदी केन्द्रों में होगा शिविर के माध्यम से आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन का कार्य

रायगढ़। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत दिवस हुए युआईडीआई की बैठक के दौरान जिले के धान खरीदी केन्द्रों में आधार शिविर आयोजित किए जाने हेतु निर्देशत किया गया था। इसी कड़ी में जिन लोगों का आधार पंजीयन वर्ष 2015 से पूर्व का है तथा उस दौरान कभी भी अपना व्यक्तिगत डाटा अपडेट नहीं करवाया है उन्हें आधार सत्यापन के समय होने वाली समस्या से बचने के लिए अपना आधार कार्ड के दस्तावेजों का अद्यतन कराया जाना है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे परिचय पत्र, वोटर आईडी, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि लेकर अपने समीन के धान खरीदी केन्द्रों में जाकर दस्तावेज अपडेट करवाना होगा।

चिकित्सा अधिकारियों की एनव्हीडीसीपी प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

रायगढ़। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्थानीय कार्यालय रायगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मधुलिका सिंह ठाकुर की उपस्थिति में एक दिवसीय चिकित्सा अधिकारियों की राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी,जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा, मलेरिया कंसल्टेट शेख निषार (एनव्हीडीसीपी) सलाहकार तथा विकासखंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी समस्त विकासखंड से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान मलेरिया, डेंगू,फायलेरिया का विस्तार से पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया तथा चिकित्सकीय परामर्श एवं इलाज संबंधित निदान के बारें में जानकारी दी गई एवं उनसे बचाव हेतु उपाय और जिले के जनसामान्य को जागरूक किया गया।

रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज में निशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत रायगढ़ जिले के लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में नि:शुल्क गैर अवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 12 वीं कक्षा एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिणार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जायेगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में, उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर साहू के निर्देश पर दो उप अभियंता को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

- सप्ताह पहले किए जाने वाले कार्यों की दे जानकारी, कार्यों की होगी समीक्षा

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा की सड़क निर्माण में गति के साथ गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिले में पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़क के विभिन्न स्तरों में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी ली। जिसमें खरसिया से छाल मार्ग, हाटी से धरमजयगढ़, पत्थलगांव से धरमजयगढ़ मार्ग, इसी प्रकार रायगढ़ से धरमजयगढ़ अंतर्गत धर्मजयगढ़ से जामपाली मार्ग, जामपाली से घरघोड़ा, घरघोड़ा से पूंजीपथरा, पूंजीपथरा से रायगढ़, छाल से घरघोड़ा व घरघोड़ा से लैलूंगा तक विभिन्न सड़क मार्गो के कार्यो को समीक्षा की। उन्होंने सभी ठेकेदारों और अभियंता को प्रतिदिन के कार्यो को सुनिश्चित के निर्देश दिए। इस दौरान खरसिया से छाल एवं छाल से हाटी मार्ग में सड़कों के निर्माण कार्यों में लापरवाही पर उप अभियंता राजेंद्र कौशिल एवं डी.एस.चौहान को कलेक्टर साहू के निर्देश पर अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार उन्होंने एडीबी के निर्माण कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने करुभाटा, रक्सापाली, कछार तारापुर, पुटकापाली, सूपा, धरमजयगढ़, कापू, बाकारूमा जैसे विभिन्न मार्गो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा की सभी सड़क निर्माण कार्यो में मजदूरों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे कार्यों में आवश्यक प्रगति आ सके। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में दिक्कत पर संबंधित अधिकारियों को एसडीएम की जानकारी में देने एवं आपसी समन्वय के माध्यम से समस्या को हल करने के निर्देश दिए। जिससे सड़क निर्माण के कार्यो में किसी प्रकार का अवरोध न हो। इसी प्रकार सड़क निर्माण के दौरान आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, ईई पीडब्ल्यूडी खाम्बरा एवं एडीबी के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

भाई से हुए झगड़े का बदला लेने युवक पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 17.11.2022 को स्टेशन चौंक रायगढ़ में रहने वाला राजवीर चौहान उम्र 18 वर्ष थाना कोतवाली में उसके साथी रोहित राजपूत पिता स्वर्गीय चेतन राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी तेंदूडीपा वार्ड क्रमांक 38 चौकी जूटमिल थाना कोतवाली जिला रायगढ़ के साथ 17 नवंबर को सुबह करीब 09.00 बजे रेलवे कॉलोनी रनिंग रूम के पास तेंदूडीपा चौकी जूटमिल का विश्वकर्मा वैष्णव, संतोष पटेल चाकू से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्टकर्ता के रिपोर्ट पर आरोपी विश्वकर्मा वैष्णव संतोष पटेल, संतोष पटेल के विरुद्ध धारा 307, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आहत रोहित राजपूत पिता स्वर्गीय चेतन राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी तेंदूडीपा वार्ड क्रमांक 38 चौकी जूटमिल थाना कोतवाली जिला रायगढ़ का हास्पिटल जाकर कथन लिया गया, जिसमें आहत बताया कि एमजी रोड रायगढ़ के रवि ट्रेडर्स में मजदूरी का काम करने जाता है, इस वर्ष दशहरा के समय आरोपी विश्वकर्मा वैष्णव का भाई शिवा वैष्णव उससे झगड़ा मारपीट लूटपाट किया था जिसकी रिपोर्ट पर शिवा वैष्णव जेल गया था। तब से उसका भाई विश्वकर्मा वैष्णव रंजीश रखता था और घटना दिनांक 17.11.2022 के सुबह जब अपने दोस्त राजवीर चौहान के साथ काम करने जा रहा था। तब सुबह करीब 09.00 बजे रेलवे कॉलोनी रनिंग रूम के सामने अचानक विश्वकर्मा वैष्णव आया और पूर्व विवाद को लेकर पाकिट में रखे मिर्च पाउडर फेंका और एक धारदार बटन चाकू निकालकर हत्या की नियत से पेट व गर्दन पर वार किया था। आहत रोहित राजपूत घटना में संतोष पटेल को शामिल होने से इंकार किया।

सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा के हमराह कोतवाली पुलिस आरोपी विश्वकर्मा वैष्णव को आज मुखबिर सूचना पर दबिश देकर हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ कर आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार स्प्रिंगदार बटन चाकू जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़कर *आरोपी विश्वकर्मा वैष्णव पिता स्वर्गीय हरेश वैष्णव 20 साल निवासी तेंदूडीपा चौकी जूटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कलेक्टर ने जनदर्शन में पहुंचे आवेदकों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही के दिए निर्देश

- मौके पर बना बुजुर्ग का राशन कार्ड तो ओमप्रसाद को मिली नई मोटरराइज्ड ट्रायसायकिल

रायगढ़। सुना था कि जनदर्शन में आने से समस्याओं का निराकरण हो जाता है। आज वाकई में वह कहावत सही साबित हुयी रायगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छुहीपाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग तेजराम विश्वाल के लिए। जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए आज पहली बार आवेदन लेकर जनदर्शन में आये थे। उनके आवेदन पर कलेक्टर रानू साहू ने जनदर्शन में ही उन्हें राशन कार्ड सौंपा तो उनकी आंखे खुशी से नम हो गयी। उन्होंने कलेक्टर साहू को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी तरह आज जनदर्शन में पुसौर विकासखण्ड के ग्राम-सूरजगढ़ निवासी दिव्यांग ओमप्रसाद निषाद मोटरराइज्ड ट्रायसायकिल की मांग हेतु आवेदन लेकर आये थे। कलेक्टर साहू ने जनदर्शन पश्चात ओमप्रसाद निषाद को नई मोटरराइज्ड ट्रायसायकिल प्रदाय किया। साथ ही धरमजयगढ़ के ग्राम बरतपाली निवासी मंडल कुमार को वाकर प्रदाय किया। इस दौरान निगम आयुक्त संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगडे, अपर कलेक्टर राजीव पांडे सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

आज कलेक्टर जनदर्शन में लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा आवेदक अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर आये थे। जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन राशन कार्ड एवं विधवा तथा विकलांग पेंशन से संबंधित थे। कलेक्टर साहू ने ऐसे सभी आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदकों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

तहसील तमनार के ग्राम पोस्ट डोलेसरा निवासी ईश्वरी प्रधान भू-अर्जन से प्रभावित जमीन का मुआवजा एवं बोनस राशि प्राप्त नहीं होने होने के संबंध में आवेदन लेकर आयी थी। उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि उनको मिलने वाली मुआवजा राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आहरण कर लिया गया है। कलेक्टर साहू ने उक्त आवेदन पर एसडीएम घरघोड़ा को जांच करने एवं संबंधित पात्र व्यक्ति को मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए। रायगढ़ की मीरा तलरेजा आर्थिक सहायता राशि दिलाये जाने संबंधी आवेदन लेकर आयी थी। उनका कहना था कि पति की मृत्यु पश्चात जीवन-यापन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर साहू ने संबंधित अधिकारी को उचित सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। रायगढ़ विकासखण्ड की महिला स्व-सहायता समूह जो कि रेडी टू ईट निर्माण करती वे सभी महिलाएं भुगतान के संबंध में आवेदन लेकर आयी थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिला समूहों का माह मार्च 2022 का भुगतान आज तक लंबित है। भुगतान लंबित होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर साहू ने संबंधित अधिकारी को उनके लंबित भुगतान की राशि शीघ्र प्रदाय करने के निर्देश दिए।

ड्रॉप आऊट बच्चों का करायें सर्वे, उनके पढ़ाई के लिए बनाये कार्ययोजना - कलेक्टर रानू साहू

- कलेक्टर साहू ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने डीईओ को ड्रॉप आउट बच्चों के सर्वे करने और पढ़ाई के इच्छुक बच्चों को ओपन परीक्षा में बैठाने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने उनके परीक्षा और पढ़ाई के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रख सके। उन्होंने स्कूली बच्चों के बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के विभिन्न विकासखंड में जर्जर स्कूलों की समस्या पर स्कूलों का चिन्हांकन कर इस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए, जिससे इन स्कूलों में आवश्यक निर्माण कार्य करवाया जा सके, ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों के लंबित जाति प्रमाण पत्र पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा, निगम आयुक्त संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगडे एवं अपर कलेक्टर राजीव पांडे सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर साहू ने ट्रको में उपयोग होने वाले एक्सेल को सड़कों के खराब होने का मुख्य कारण बताते हुए आरटीओ को कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने टीम बनाकर कार्यवाही करने एवं टीम को सुपर विजन करने के लिए अलग टीम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों को बिना कार्यवाही के न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़क अधिक प्रभावित होती है। इन स्थानों में माइनिंग कंपनियों की बैठक ले एवं चेक पोस्ट के माध्यम से अलग-अलग स्थानों में नियमित कार्यवाही करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों भी ऐसे वाहनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।

उन्होंने समाधान शिविर कि समीक्षा करते हुए कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा शिविर से रिफर मरीजों की आवश्यकता व बेहतर ईलाज की नियमित मॉनिटरिंग किया जाए। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर साहू ने सीईओ जिला पंचायत को जिला अस्पताल के निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं की जानकारी लेने के निर्देश दिए। जिससे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सर्जरी जैसी सुविधा में वृद्धि किया जा सके। कलेक्टर साहू ने छत्तीसगढ़ी ओलम्पिक की तैयारी शत-प्रतिशत करने एसडीएम को निर्देशित किया।

कलेक्टर साहू ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन खरीदी केन्द्रों में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है वे वहां नियमित रूप से विजिट करें और सुविधा एवं आवश्यकता की जानकारी ले। उन्होंने राइस मिलर एग्रीमेंट की जानकारी लेते हुए कहा कि शेष बचे राइस मिलर से बैठक लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही फोर्टिफाइड चावल के संबंध में जागरूकता हेतु राशन दुकानों में जानकारी चस्पा करें, ताकि ग्रामीण अंचल के लोगों के बीच प्लास्टिक चावल के भ्रम को दूर किया जा सके। कलेक्टर साहू ने रकबा संशोधन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रकबा किस तरह बढ़ा है, किस ग्राम, तहसील में रकबा सबसे अधिक बढ़े है, राजस्व अधिकारी निरीक्षण करे। उन्होंने रीपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) के जगह चिन्हांकन में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठान सड़क मार्ग से लगा हो ताकि गौठान में निर्मित उत्पादों को विभिन्न जगह भेजा जा सके। इससे ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ई कोर्ट, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा जैसे प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480